व्यापार

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अप्रैल-अगस्त में 16 प्रतिशत बढ़कर 27.1 अरब डॉलर रहा: सरकारी आंकड़ा

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (ए)। देश में इस साल अप्रैल-अगस्त के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 16 प्रतिशत बढ़कर 27.1 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पिछले साल अप्रैल-अगस्त के दौरान देश में 23.35 अरब डॉलर का निवेश आया था। मंत्रालय ने बयान में कहा कि कमाई को फिर से किये गये निवेश को मिलाकर कुल एफडीआई आलोच्य अवधि में 13 प्रतिशत बढ़कर 35.73 अरब डॉलर रहा। बयान के अनुसार, ''किसी वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में यह अबतक का सर्वाधिक एफडीआई है और 2019-20 के पहले पांच महीनों की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2019-20 के पहले पांच महीनों में यह 31.60 अरब डॉलर था।'' कुल एफडीआई प्रवाह 2008 से 2014 में 231.37 अरब डॉलर की तुलना में 2014 से 2020 में 55 प्रतिशत उछलकर 358.29 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर लिखा है, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिये भारत एक पसंदीदा गंतव्य है।'' उन्होंने कहा कि पिछले छह साल में एफडीआई 55 प्रतिशत बढ़ा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-अगस्त के दौरान कोविड-19 संकट के बावजूद एफडीआई प्रवाह 13 प्रतिशत बढ़ा। किसी एक वित्त वर्ष के पहले पांच महीने में यह सर्वाधिक है। मंत्रालय ने कहा, ''एफडीआई आर्थिक वृद्धि को गति देने वाला प्रमुख तत्व है और बिना कर्ज के वित्त का महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि एफडीआई नीति सुगम और निवेशकों के अनुकूल हो। एफडीआई को निवेशक अनुकूल बनाने के साथ यह भी कोशिश रही कि नीतिगत बाधाओं को दूर किया जाए, जो देश में निवेश प्रवाह को बाधित कर रहे थे।'' बयान के अनुसार पिछले छह साल में इस दिशा में उठाये गये कदमों के कारण ही एफडीआई में अच्छी वृद्धि हुई। मंत्रालय के अनुसार एफडीआई के मामले में नीतियों में सुधार, निवेश को सुगम बनाने तथा कारोबार सुगमता के लिये उठाये गये कदमों से देश में एफडीआई प्रवाह बढ़ा है।

सेबी का प्रभात डेयरी को ऑडिटर के साथ सहयोग करने, 1,292 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (ए)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रभात डेयरी को फॉरेंसिक ऑडिटर के साथ सहयोग करने का मंगलवार को निर्देश दिया। साथ ही ऑडिट समाप्त होने तक के लिए सात दिन के भीतर एक राष्ट्रीय बैंक में 1,292 करोड़ रुपये जमा करने का भी आदेश दिया। प्रभात डेयरी के वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय विवरणों से जुड़े तथ्यों की जांच के लिए बाजार नियामक सेबी ने जुलाई में ग्रांट थॉर्नटन भारत एलएलपी को फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया था। ऑडिटर को कंपनी के खातों में हेरा-फेरी, वित्तीय और कारोबार परिचालन में जोड़-तोड़ दिखाना और कंपनी के प्रवर्तकों, निदेशकों और प्रबंधन में शामिल अधिकारियों द्वारा धन को गलत तरीके से हस्तांतरित करने आदि की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि कंपनी और उसके प्रबंध निदेशकों के फॉरेंसिक ऑडिटर के साथ सहयोग नहीं करने की बात उसके संज्ञान में आयी है। वह ऑडिट शुरू करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज और सूचनाएं ऑडिटर के बार-बार मांगने पर भी उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। नियामक ने कहा कि जब तक ऑडिट पूरा नहीं हो जाता वह यह तय नहीं कर सकती कि कंपनी ने किसी तरह की हेरा-फेरी की है या नहीं। इसलिए कंपनी और उसका प्रबंधन ऑडिट के काम ऑडिटर का सहयोग करें। इसके अलावा सेबी को प्रभात डेयरी के खिलाफ शिकायत मिली है कि उसके प्रवर्तक/निदेशक निवेशकों को उनके लेन-देन के लिए वादे के मुताबिक बकाये का भुगतान नहीं करने की धोखाधड़ी का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कंपनी को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के विशेष एस्क्रो खाते में 1,292.46 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही ऑडिटर समिति से कहा कि वह आदेश के पालन की सूचना सेबी को 30 अक्टूबर 2020 से पहले उपलब्ध कराए।

इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ को पहले दिन 39 प्रतिशत अभिदान मिला

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (ए)। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को बोली के पहले दिन 39 प्रतिशत अभिदान मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास उपलब्ध आंकड़े के अनुसार 517 करोड़ रुपये के आईपीओ के तहत कंपनी ने 11,58,50,001 शेयर बिक्री के लिये रखा है जबकि बोलियां 4,54,01,850 शेयर के लिये आयी। गैर-संस्थागत श्रेणी में निर्गम को 3 प्रतिशत और खुदरा निवेशकों के मामले में 85 प्रतिशत अभिदान मिला। आईपीओ के तहत 280 करोड़ रुपये का नया निर्गम लाया गया है और 7.20 करोड़ शेयर बिक्री के लिये पेशकश की गयी हैं। पेशकश के लिये कीमत दायरा 32 से 33 रुपये रखा गया है। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 35 बड़े (एंकर) निवेशकों को 42,327,271 शेयर आबंटित कर 139.68 करोड़ रुपये जुटाये।

रोड प्रोजेक्ट में लोकल कंपनियां हो सकती हैं शामिल नियमों को आसान करने की बन रही है योजना

मुंबई, 21 अक्टूबर (ए)। जल्द ही देश में लोकल कंपनियों, खासकर नई कंपनियों को रोड प्रोजेक्ट में भाग लेने में आसानी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रोड प्रोजेक्ट के नियमों में ढील देने की तैयारी कर रही है। इससे इन कंपनियों को रोड प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने में आसानी हो जाएगी।

एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया में होगा बदलाव: जानकारी के मुताबिक इस पूरे नियम में जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है, उसमें योग्यता (एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया) के नियम हैं। यह नियम इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) के लिए आसान किए जाएंगे। इसमें फाइनेंशियल और टेक्निकल की क्राइटीरिया भी आसान की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए काफी समय से फाइनेंशियल और टेक्निकल क्राइटीरिया को आसान नहीं किया है। इससे लोकल कंपनियां रोड प्रोजेक्ट में भाग नहीं ले पाती थीं। अब इसे आसान किया जा रहा है।

सालाना टर्नओवर की शर्तों में होगी कमी: नए बदलाव के तहत सालाना टर्नओवर की जरूरत को घटा कर 15 पर्सेंट किया जाएगा। यह पहले 20 पर्सेंट होता था। यानी जो प्रोजेक्ट की अनुमानित कीमत होगी, उसकी तुलना में टर्नओवर 15 पर्सेंट होना चाहिए। इसी तरह कैपिटल कॉस्ट को भी अनुमानित लागत की तुलना में कम कर 75 पर्सेंट किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले फाइनेंशियल कैपासिटी क्राइटीरिया एक-एक के अनुपात में थी। इस वजह से कुछ ही कंट्रैक्टर ऐसे थे जो इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए चुने जाते थे। ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा न होने से कई प्रोजेक्ट के पूरा होने में काफी समय लग जाता था।

पिछले हफ्ते मंत्रालय ने हाइब्रिड एन्यूटी मोड (एचएएम) प्रोजेक्ट के नियमों में ढील दी थी

नियमों में ढील देने से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और इससे प्रोजेक्ट जल्दी पूरे किए जाएंगे

नितिन गडकरी करेंगे घोषणा: बताया जा रहा है कि रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाइवे मंत्री नितिन गडकरी कुछ दिन में इसकी घोषणा कर सकते हैं। इसी तरह मंत्रालय ने इसमें टेक्निकल अनुभव को भी कम कर दिया है। इसे प्रोजेक्ट की लागत के अनुपात में 10 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कर दिया गया है। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी को कुल 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का अनुभव है तो उसके 50 करोड़ के प्रोजेक्ट को भी उचित माना जाता था। अब यह 25 करोड़ रुपए की शर्त हो जाएगी।

छोटी कंपनियां ईपीसी प्रोजेक्ट में हो पाएंगी शामिल: प्रस्तावित नियमों में आसानी के कारण अब छोटी कंपनियां ईपीसी प्रोजेक्ट में शामिल हो पाएंगी। इसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए माना जा रहा है। पिछले हफ्ते मंत्रालय ने हाइब्रिड एन्यूटी मोड प्रोजेक्ट के नियमों में ढील दी थी। मंत्रालय ने 200 मीटर की टनल (गुफा) के लिए अब अनुभव को खत्म कर दिया है।

उद्यमियों में एमएसएमई कर्ज को लेकर कम हो रही है दिलचस्पी

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (ए)। त्योहारी सीजन के बाद कारोबार में कमी की आशंका को देखते हुए छोटे उद्यमी बैंकों से कर्ज लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यही वजह है कि पूरी तरह से सरकारी गारंटी वाले 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का 65 फीसद भुगतान ही अब तक हो पाया है। 31 अक्टूबर को इस कर्ज की समय सीमा समाप्त हो रही है, लेकिन एमएसएमई से जुड़ी किसी भी एसोसिएशन ने इस कर्ज की समय सीमा बढ़ाने की मांग नहीं की है। सरकार और बैंक भी इस समय सीमा को बढ़ाने के मूड में नहीं है। उद्यमियों ने बताया कि उनके पास नवंबर के बाद के महीनों के लिए ऑर्डर काफी कम है। उन्होंने बताया कि अधिक कर्ज लेने पर उनकी देनदारी बढ़ जाती है जिससे उनका सिबिल स्कोर खराब होता है और उन्हें अधिक ब्याज देना पड़ता है। इसलिए क्षमता के मुताबिक काम नहीं होने पर कर्ज लेने का कोई फायदा नहीं है। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज (फिस्मे) के महासचिव अनिल भारद्वाज ने बताया कि फिस्मे से एमएसएमई की कई एसोसिएशन जुड़ी हुई हैं, लेकिन किसी भी एसोसिएशन की तरफ से 3 लाख करोड़ वाले एमएसएमई कर्ज की समय सीमा बढ़ाने की मांग नहीं की गई है।

स्वीडन ने 5जी के लिए हुवावेई जेडटीई पर लगाया प्रतिबंध

स्टॉकहोम, 21 अक्टूबर (ए)। स्वीडन ने चीन को देश के सबसे बड़े खतरों में से एक बताते हुए 5जी प्रौद्योगिकी के लिए चीनी कंपनी हुवावेई एवं जेडटीई के नेटवर्क-उपकरणों के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के दूरसंचार नियामक ने मंगलवार को कहा कि 5जी प्रौद्योगिकी के लिए होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने वाली चार दूरसंचार कंपनियां किसी भी तरह से हुवावेई और जेडटीई के उत्पाद उपयोग नहीं कर सकेंगी। 'स्वीडिश पोस्ट एंड टेलीकॉम अथॉरिटी' ने कहा कि जो दूरसंचार कंपनियां 5जी प्रौद्योगिकी के लिए अपने मौजूदा ढांचे का उपयोग करना चाहती हैं उन्हें भी सुनिश्चित करना होगा कि वह हुवावेई और जेडटीई के पहले से लगे उपकरणों को हटा लें। नियामक ने कहा कि ये शर्तें स्वीडन की सेना और सुरक्षा सेवाओं द्वारा की गयी समीक्षा के आधार पर तय की गयी हैं। हुवावेई ने इसे 'अचंभित करने वाला' और 'निराशाजनक' बताया। हुवावेई को प्रतिबंधित करने वाले देशों में स्वीडन शामिल होने वाला सबसे नया देश है। उसके इस निर्णय से चीन की सरकार और पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। अमेरिकी अधिकारियों ने हुवावेई को प्रतिबंधित करने के लिए यूरोप में बड़े पैमाने पर पैरवी की है। स्वीडन के इस प्रतिबंध से घरेलू कंपनी एरिक्सन और फिनलैंड की नोकिया के सामने ज्यादा अवसर मौजूद होंगे। दोनों ही नेटवर्क उपकरण क्षेत्र में हुवावेई की प्रतिद्वंदी कंपनियां हैं। स्वीडन की घरेलू सुरक्षा सेवा के प्रमुख क्लास फ्रिबर्ग ने चीन को स्वीडन के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि चीन खुद के आर्थिक विकास को बढ़ानेऔर सैन्य क्षमताएं विकसित करने के लिए साइबर जासूसी करा रहा है।

केनरा बैंक ने 8 साल में 47,310 करोड़ रु. का लोन राइट ऑफ किया, रिकवरी सिर्फ 19 फीसदी रही

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (ए)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक केनरा बैंक ने वित्त वर्ष 2012-13 से 2019-20 के दौरान आठ सालों में 47,310 करोड़ रुपए के बैड लोन को राइट ऑफ किया है। जबकि इस अवधि में रिकवरी 19 फीसदी यानी 8901 करोड़ रुपए रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिले डाटा से यह जानकारी सामने आई है।

बड़े डिफाल्टर्स की जानकारी देने से इनकार: आरटीआई के तहत, बैंक से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के डिफाल्टर्स की जानकारी भी मांगी गई थी। लेकिन अन्य पीएसबी की तर्ज पर केनरा बैंक ने भी बड़े डिफाल्टर्स की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। बैंक ने आरटीआई के जवाब में कहा है कि यह निजी सूचना से जुड़ा मामला है और इसका सार्वजनिक हित से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1) के तहत इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है।

क्या होता है राइट ऑफ: जब लोन की रिकवरी नहीं हो पाती है तो बैंक उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट (एनपीए) घोषित कर देता है। ज्यादा एनपीए से बैंक की बैलेंसशीट गड़बड़ा जाती है। इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए बैंक कभी ना वसूले जा सकने वाले लोन को राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने से लोन बैलेंस शीट से हट जाता है। राइट ऑफ को सामान्य भाषा में बट्टा खाता भी बोला जाता है।

एसबीआई ने 2012 से 2020 तक 1.23 लाख करोड़ का कर्ज राइट ऑफ किया: एक अन्य आरटीआई के मुताबिक, देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने 2012 से 2020 के दौरान एक लाख 23 हजार 432 करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है। 31 मार्च 2020 तक इसमें से केवल 8,969 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। यानी 7.26 फीसदी। बाकी की रकम की वसूली आज तक नहीं हो पाई है। एसबीआई के बड़े कर्जदारों में विडियोकॉन, आलोक इंडस्ट्रीज और भूषण स्टील जैसी कंपनियां शामिल हैं।

आठ साल में सिर्फ 8901 करोड़ रुपए के बैड लोन की रिकवरी हुई राइट ऑफ के तहत बैंक की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है लोन

राइट ऑफ अमूमन 100 करोड़ से ऊपर का कर्ज होता है: बैंक बड़े कर्जदारों के कर्ज को राइट ऑफ करते हैं। यह राइट ऑफ 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज को किया जाता है। पिछले कुछ समय में देश में ऐसे सैकड़ों कर्जदार हैं जिन्होंने बैंकों से 100 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लिया है। बाद में जब वसूली नहीं हुई तो उन्हें बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया।

इनकम की कमी से जूझ रही हैं सरकारी कंपनियां, फिर भी सरकार ने कहा - शेयर धारकों को डिविडेंड दो

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (ए)। सरकार ने नकदी से संपन्न सरकारी कंपनियों से इस साल डिविडेंड देने को कहा है। कोरोना संकट के दौरान सरकार ने मंशा जताई है कि पीएसयू कंपनियां अपने शेयरधारकों को उच्चतम लाभांश दें। इससे सरकार को भी फायदा होगा।

सरकार को भी मिलेगी मदद: आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि, सरकारी कंपनियों का स्टॉक प्राइस बुक वैल्यू से अधिक है। और कैश की भी मात्रा पर्याप्त है। इसलिए सरकारी कंपनियों को अपने शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2021 में हायर डिविडेंड देने को कहा जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बड़ी हिस्सेदारी रखती है। अब ऐसे में डिविडेंड के ऐलान के बाद सरकार का खजाना भी भरेगा, जो कोरोना महामारी के कारण खाली हो गया है।

वित्त वर्ष 2021 में नॉन-फाइनेंशियल पीएसयू के डिविडेंड का बजट लगभग 65,747 करोड़ रुपए है। अगर डिविडेंड में बढ़ोतरी होती है, तो सरकार के नॉन-टैक्स से आने वाले रेवेन्यू में इजाफा होगा। इससे फिस्कल डेफिसिट में बढ़ोतरी होगी, जो वर्तमान में जीडीपी का करीब 8 प्रतिशत आंका गया है।

पीएसयू को खर्च बढ़ाने का निर्देश: वित्त मंत्री सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को खर्च बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी पीएसयू कंपनियां साल 2020-21 के योजनाबद्ध पूंजीगत खर्च का 75 प्रतिशत हिस्सा दिसंबर, 2020 तक पूरा करें। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़े कोविड-19 के बुरे असर को कम करने में मदद मिलेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनसे पहले के वित्त मंत्रियों ने नॉन-फाइनेंशियल सरकारी कंपनियों को सलाह देने की नीति को बनाए रखा है, कि यदि वे कैपेक्स की जरूरतों के लिए अपने कैश रिजर्व का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें इसे डिविडेंड या शेयर बायबैक के माध्यम से केंद्र सरकार को दे देने चाहिए।

दीपम की गाइडलाइन: विनिवेश विभाग दीपम के गाइडलाइन के मुताबिक, प्रत्येक केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों को सालाना कम से कम अपने पैट का 30 प्रतिशत हिस्सा या नेटवर्थ का 5 प्रतिशत या जो भी सबसे ज्यादा हो उसका भुगतान करना आवश्यक है।

एसी के आयात पर प्रतिबंध से उद्योग पर पड़ सकता है बहुत बुरा असर : विशेषज्ञ

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (ए)। भारत सरकार ने हाल ही में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने के लिए एयर कंडीशनर (एसी) के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से उद्योग बाधित हो सकता है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि लंबी अवधि में इस दिशा में पूरे सुधार की भी संभावना है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रतिबंध सरकार की ओर से कई घोषणाओं का पूर्वसूचक भी हो सकता है, जिसमें घटकों (कंपोनेंट्स) पर आयात शुल्क बढ़ाना भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है, इस प्रकार, हम यह मानते हैं कि अगले पांच से सात वर्षों में भारत शायद अपनी आयात निर्भरता को लगभग शून्य कर देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का एसी उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है,

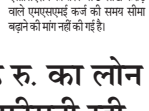

जिसमें 35-40 ब्रांड हैं। जबकि शीर्ष छह कंपनियां 75-80 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी रखते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है, हम मानते हैं कि व्यवसाय मॉडल व्यापक रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि भारत एसी उद्योग में अधिक आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है।

कम समय में यह ओईएम के साथ-साथ प्रमुख ब्रांडों (शीर्ष पांच से छह कंपनियां) को अधिक से अधिक व्यापार के मौके देगा। इसमें आगे कहा गया है कि कुछ ब्रांड अन्य ब्रांडों को अपनी अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने पर भी विचार कर रहे हैं।

अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने गूगल के खिलाफ लैंडमार्क एंटी ट्रस्ट का केस किया

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (ए)। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने गूगल पर सर्च और विज्ञापन को लेकर गैरकानूनी तरीके से एकाधिकार बनाए रखने का आरोप लगाया है। इसे लेकर जस्टिस डिपार्टमेंट और 11 राज्यों ने वॉशिंगटन डी.सी. के फेडरल कोर्ट में मंगलवार को मुकदमा दायर किया। एजेंसी ने गूगल पर आरोप लगाया कि उसने एक्सक्लूसिव बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट कर अपने प्रतिस्पर्धियों को नुकसान पहुंचाया है।

मुकदमे में कहा गया है कि गूगल ने एपल को आईफोन में डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल को बनाए रखने के लिए उसे अरबों डॉलर का भुगतान किया था। अपने एकाधिकार को बनाए रखने के लिए उसने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया।

गूगल का जवाब: गूगल ने अपने ऊपर चल रहे मुकदमे पर जवाब दिया। अपनी वेबसाइट पर स्टेटमेंट जारी कर गूगल ने कहा कि इस मुकदमे से कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे लोअर क्वालिटी सर्च अल्टरनेटिव अपने आप सर्च में ऊपर हो जाएंगे। इससे फोन के दाम बढ़ेंगे और लोगों को मनपसंद चीजें सर्च करने में समस्याएं आएंगी।

सात अन्य राज्य भी मुकदमा कर सकते हैं: उधर, न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने मंगलवार को घोषणा की कि सात राज्यों में जल्द ही गूगल के खिलाफ एक अलग एंटी ट्रस्ट मुकदमा दायर किया जा सकता है। यह उन 11 राज्यों के अलावा है, जिन्होंने गूगल के खिलाफ अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मुकदमा दायर किया।

यह मुकदमा निर्णायक साबित हो सकता है: माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ भी 20 साल पहले ऐसा मुकदमा किया गया था। उसके बाद गूगल का मामला जमीनी स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बचाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया जरूरी कदम है। यह मुकदमा सरकार के अन्य एंटी ट्रस्ट एक्शन से पहले एक प्रारंभिक जीत हो सकती है। जस्टिस डिपार्टमेंट और संघीय ट्रेड कमिशन में एपल, अमेजन और फेसबुक सहित प्रमुख तकनीकी कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच को देखते हुए यह मुकदमा निर्णायक साबित हो सकता है।

गूगल की मूल कंपनी एल्फाबेट इंक है: लॉ मेकर्स और उपभोक्ता एडवोकेट ने गूगल की कॉर्पोरेट कंपनी अल्फाबेट इंक ऑनलाइन सर्च और विज्ञापन में अपने डोमिन का दुरुपयोग करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। बता दें कि गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक है और इसका बाजार मूल्य 1,000 अरब डॉलर से ज्यादा है।

गूगल ने हटाए 3,000 फेक यूट्यूब चैनल: उधर गूगल ने जुलाई से सितंबर तक की अवधि में 3,000 से ज्यादा ऐसे फेक यूट्यूब चैनल हटाए हैं, जो चीन से संबंधित एक बड़े स्पैम नेटवर्क का हिस्सा रहे थे।